समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4071

1. सुल्तान खां तनय रहीम खां
2. नूर खां तनय रहीम खां
3. महिला जुमरत पुत्री रहीम खां
4. महिला जुमला पुत्री रहीम खां फौत वारसान
   1. एहसान खां
   2. लियाकत खां
   3. उस्मान खां
   4. आजाद खां

सभी निवासी ग्राम हनुमान सागर तह.
व जिला टीकमगढ़ म.प्र. ......

आवेदकगणग

//विरूद्ध//

1. बाबू तनय रहीम खां
2. रमजान तनय रहीम खां
3. बली मुहम्मद तनय शेर खां
4. सुंवान खां तनय शेर खां (फौत) वारसान अब्दुल खां, हनीफ खां, दीवान खां, गुन्ना खां वल्द सुजान खां फौत वारसान बेवा साबरा बेगम, राजू खां नफीश खां, निवासी ग्राम हनुमान सागर तह. व जिला टीकमगढ़ म.प्र. ......प्रतिअपीलार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म०प्र०भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 732/अ–27/2005–2006 में पारित आदेश दि०12.10.17 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैं:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदगणों द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष अपनी पैत्रक भूमि के बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उभयपक्षों की सहमति एवं कब्जे के अनुसार विधिवत रूप से बंटवारा आदेश विचारण न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 16.11.2004 को किया गया जिसके तहत उभयपक्ष काबिज चले आ रहे है उपरोक्त बंटवारा आदेश की अपील अनावेदक क. 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि वंधित होने से बंटवारा में कोई आपत्ति प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर निरस्त की गई जिसके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 4071

सुल्तान खां आदि विरूद्ध बाबू खां आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–10–2018	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 17.09.2018 को आवेदक सुल्तान पिता रहीम खां के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन व श्री एक.के. अवस्थी एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री एस. के. वाजपेयी उपस्थित । उन्होंने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 732 / अ–27 / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि आवेदक / निगरानीकर्ता एवं अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष पैत्रृक भूमि के बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 24 / अ–27 / 2003–04 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 16.11. 2004 को बंटवारा का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 बाबू खां व अनावेदक क्र. 2 रमजान खॉ (मृतक) द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय टीकमगढ़ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 13 / अपील / 2005–06 में दिनांक 31.05.2006 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.05.2006 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर	

संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 732/अ–27/2005–06 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 12.10.2017 से अनावेदकगण की अपील को इस आधार पर स्वीकार किया कि पैत्रृक सम्पत्ति का बटवारा मुस्लिम लॉ के तहत किया जाना चाहिये था, जो कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नहीं किया गया है।

3/ आवेदकगण/निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधीनरस्थ अपर आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण पर प्रकाश डाले बिना उभयपक्षों की सहमति के उपरांत भी अनावेदक क्र. 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत अपील को बिना किसी समाधान कारक करण एवं बिना किसी विश्लेषण के निष्पादित बटवारा आदेश में मुस्मिल लॉ के प्रावधानों को उल्लेख करते हुये प्रकरण का निराकरण किया है, जबकि अपील में मुस्लिम लॉ का कोई विवाद उल्लेखित ही नहीं था । निष्पादित फर्द बंटवारा के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिवत एवं विधिसम्मत आदेश पारित किया था। अतः अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 12.10.2017 निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता ने प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत किया कि फर्द बटवारा में सहमति/हस्ताक्षर नहीं है। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत बने नियम के अनुक्रम में बटवारा नहीं किया गया है। बटवारे की कार्यवाही गलत की गई है। उन्होंने तर्क में यह भी कहा है कि तहसीलदार ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है और न ही फर्द बटवारा का प्रकाशन किया गया है। अतः दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों के आदेश को निरस्त करते हुये अपर आयुक्त सागर के आदेश को स्थिर रखा जावे।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया गया । ग्राम हनुमान सागर स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 15 कुल रकबा 6.059 हैक्टेयर के सहखातेदार आवेदकगण एवं अनावेदकगण है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की पैत्रृक सम्मति है । आवेदकगण एवं अनावेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत आपसी सहमति के आधार पर बटवारा किये जाने का आवेदन तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष दिया गया था, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने प्रावधान के अनुक्रम में विधिवत बटवारा का आदेश पारित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2006 में स्थिर रखा है।

अ– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 निम्नानुसार है –

1. यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।
2. तहसीलदार, सह–भूधारियों की सुनवाई करने के पश्चात्, खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाये गये निमयों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा ।

6/ उपरोक्त से स्पष्ट है कि कृषि भूमि के बटांकन/विभाजन के लिये आवश्यक है कि भूमि के एक से अधिक खातेदार हो या भूमिस्वामी के विधिक वारिसान हो। ऐसे विभाजन के लिये यह भी आवश्यक है कि धारा 178(2) के अनुपालन में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 199–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये खाते के विभाजन से सम्बधित नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया का पालन किया जाये।

प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम हनुमान सागर स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 15 कुल रकबा 6.059 हैक्टेयर के सहखातेदार आवेदकगण एवं अनावेदकगण है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की पैत्रृक सम्मति है । तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने प्रावधानों के अनुक्रम में बटवारा आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त ने प्रकरण में मुस्लिम लॉ का हवाला देते हुये निष्कर्ष निकाला है, जबकि बटवारा प्रकरण का निराकरण मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत किया जाना चाहिये, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा ध्यान न देते हुये जो आदेश पारित किया है वह विधिसंगत प्रतीत नहीं होता।

7/ अतः उपरोक्त के विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांके 12.10.2017

विधिसंगत न होने से निरस्त किया जाता है तथा दोनों अधीनस्थ तहसीलदार टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 16.11.2004 एवं अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 31.05.2006 स्थिर रखा जाता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है।

8/ आवेदक अभिभाषक को आदेश नोट कराया जाये । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

03.10.2018

(आर.के. जैन)
सदस्य